भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3087
(उत्तर देने की तारीख 06.12.2019)

सी०एस०आई०आर० इंस्टिट्यूट ऑफ माइक्रोबाइल टेक्नोलॉजी (आई०एम०टी०ई०सी०एच०)

3087. श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी०एस०आई०आर० इंस्टिट्यूट ऑफ माइक्रोबाइल टेक्नोलॉजी (आई०एम०टी०ई०सी०एच०), चंडीगढ़ ने सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आई०आई०टी० बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समझौताज्ञापन के निबंधन और शर्तों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समझौताज्ञापन/सहयोग देश के समाज की मुख्य अधूरी जरूरतों और चिकित्सा जरूरतों के समाधान और सहयोगात्मक अनुसंधान विशेष रूप से स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के दो शीर्ष संस्थानों के सहयोग से अन्य क्या लाभ होने की संभावना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) जी हां। सीएसआईआर–सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमटीईसीएच), चंडीगढ़ ने आईआईटी बॉम्बे के साथ 13 नवम्बर, 2019 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना, नए ज्ञान का विकास करना, सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान कौशल में वृद्धि करना है।

इस सहयोग का उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान करना है विशेष रूप से परियोजनाओं एवं मिशनों में जहां दोनों संस्थान परस्पर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं जिनमें प्रति जैविकों (एंटीबायोटिक्स) एवं विषाणु विज्ञान औषध खोज के क्षेत्र सम्मिलित होंगे परन्तु इन्हीं तक सीमित नही होंगे।

(ग) जी हां, यह प्रत्याशा की जाती है कि यह समझौता ज्ञापन/सहयोग हमारे देश की महत्वपूर्ण अपूर्ण सामाजिक एवं चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देगा और सहयोगात्मक अनुसंधान विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देगा। यह समझौता ज्ञापन बायो-थेरप्यूटिक्स के क्षेत्रों जिनमें टीकों, दवाओं, प्रोटीन थेरप्यूटिक्स और नैदानिकी; ह्यूमन माइक्रोबायोम आधारित उत्पाद; जैव रसायन एवं प्रोटीन इंजीनियरी तथा किण्वन प्रौद्योगिकियां आदि सम्मिलित हैं, में सहयोगात्मक अनुसंधान को समर्थ बनायेगा।

(घ) चोटी के दो संस्थानों के सहयोग के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सम्भावित अन्य लाभ निम्नांकित हैं:

- उपयुक्त अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने के लिए भागीदार संस्थानों के संकाय एवं छात्र शोधार्थियों को आमंत्रित करके संस्थागत आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना;
- स्कॉलर्ली पब्लिकेशनों के माध्यम से खोजों का प्रचार-प्रसार करना;
- सहयोगात्मक प्रयासों से उत्पन्न होने वाली बौद्धिक संपदा (आईपी) का संयुक्त संरक्षण करना और सामाजिक लाभों एवं/या वाणिज्यीकरण हेतु ऐसे आईपी के परिनियोजन को सुगम बनाना;
- परिसंवादों, सम्मेलनों का मिलजुल कर आयोजन करना तथा अनुसंधान सम्बन्धी मुद्दों पर समय पर बैठकें आयोजित करना; और
- सहमति वाले अनुसंधान क्षेत्रों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करना।

*****